न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/282/2018

उनवान

1. नारायण लाल पिता मांगी लाल गुर्जर निवासी केकडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. श्याम लाल पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी केकडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मु0 सायरी पिता प्रताप गुर्जर निवासी केकडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 10/2018 निर्णय दिनांक 29.5.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री जे के जैन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा। किन्तु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पत्र के निस्तारण में लम्बा समय लगेगा, इस अवधि में विपक्षीगण प्रार्थीया को बेदखल कर जबरन कब्जा कर सकते हैं, इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम केकडिया पटवार हल्का सराणा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा में वर्तमान खतौनी संख्या 65 संवत 2070 से 2073 की जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 192 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 193 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 193/1 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 194 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 195 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 196 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके 1/2 हिस्से में प्रार्थीया व बाली पत्नि प्रताप गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड होकर शेष 1/2 हिस्सा रामेश्वर लाल, नारायण लाल पिता हरदेव तथा मु0 सुन्दर बेवा हरदेव गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त समस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड व मौके पर शामलाती अविभक्त होकर प्रत्येक आराजियात के रकबे में प्रत्येक खातेदार का हक, अधिकार व स्वामित्व तथा कब्जा है। उक्त अविभाजित आराजियात के विभाजन बाबत कभी किसी पक्षकार द्वारा कोई वाद किसी न्यायालय में या आपसी सहमति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार सभी खातेदारान उक्त आराजियात को संयुक्त रूप से अपने नाम पर ही रखने हेतु सहमत हैं। उक्त आराजियात पुश्तैनी होकर पूर्व में प्रार्थीया के पूर्वज प्रताप व उसके पिता मोडा जी की आराजियात थी। उक्त संयुक्त आराजियात के बिना विभाजन किये किसी खातेदार को अपनी आराजियात व हिस्से तथा कब्जे की भूमि का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है एवं यदि कोई खातेदार अपने हिस्से की भूमि का विक्रय बाहरी अजनबी व्यक्ति को करता है तो इस प्रकार का विक्रय अजनबी व्यक्ति को किया हुआ माना

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाकर नामान्तरकरण व कब्जे का अधिकार खरीददार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। खातेदार बाली पत्नी प्रताप गुर्जर के वृद्धावस्था व नासमझी का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 3.3.2017 को बिना प्रतिफल अदा किये व बिना कब्जा प्राप्त किये विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उसके हिस्से की भूमि का अवैध व शून्य प्रभावी विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा पंजीयन करवा दिया, जबकि खातेदार बाली को इस प्रकार के विक्रय करने की कोई ईच्छा व मंशा तथा आवश्यकता नही थी। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने खातेदार मु0 बाली को धोखे व मुगालते में रखकर बिना विक्रय प्रतिफल राशि अदा किये उक्त तथाकथित विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया है जबकि मु0 बाली की उक्त आराजियात के विक्रय बाबत किसी प्रकार का विचार व मंशा नहीं थी। विपक्षी संख्या 1व 2 ने उक्त तथाकथित विक्रय दिनांक 3.3. 2017 में उक्त आराजियात के कब्जा कर लिये जाने का तथ्य अंकित किया है जो सर्वथा विधि विपरीत होकर केवल कागजी तथ्य हैं। कानूनी रूप से संयुक्त अविभक्त आराजियात के प्रत्येक ईंच भू भाग पर खातेदार का संयुक्त कब्जा हाता है और खरीददार बाहरी व्यक्ति किसी विक्रय या हस्तान्तरण दस्तावेज के द्वारा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी व सक्षम व्यक्ति नहीं है। आज भी उक्त आराजियात प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त अविभक्त कब्जेयाबी की आराजियात है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विक्रय पत्र के माध्यम से राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज अवश्य करवाया है, जो भी विधि सम्मत नहीं होकर निरस्तनीय है।

2. विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 3.3.32017 व नामान्तरकरण संख्या 450 व 451 दिनांक 15.3.2017 का नाजायज फायदा उठाकर अपने धन व भुजबल के आधार पर प्रार्थीया के स्त्री, तथा कमजोर वर्ग

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के होने का नाजायज लाभ प्राप्त कर कानून अपने हाथ में लेकर प्रार्थीया को बेदखल करने हेतु आमादा है। इस हेतु दिनांक 7.12.2017 को विपक्षीगण जबरन विवादित आराजियात पर आये तथा प्रार्थीया को बेदखल करने का प्रयास किया । इस प्रकार विपक्षीगण प्रार्थीया के संयुक्त कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा है। दिनांक 7.12. 2017 के बाद भी विपक्षी संख्या 1 व 2 धमकियॉ दे रहे हैं कि वे प्रार्थीया को शीघ्र ही बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेंगे। प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया प्रकरण है। प्रार्थीया उक्त आराजियात की संयुक्त काश्तकार खातेदार होकर अविभक्त आराजियात होने के कारण प्रत्येक ईंच भूभाग में सहकाश्तकार होकर कब्जेधारी है। विक्रय पत्र बाहरी व्यक्ति को किया जाकर वैधिक रूप से विपक्षीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अशोधनीय व अपूर्णीय क्षति होगी व कब्जा प्राप्त करना कठिन हो जायेगा । अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसल वाद विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम केकडिया स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 192 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 193 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 193/1 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 194 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 195 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 196 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि में प्रार्थीया के कब्जे, उपयोग उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी से करावें, वादिया को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

बेदखल नहीं करें व सभी सहखातेदारान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/विपक्षीगण की बिना सम्यक तामील के ही उनकी अनुपस्थिति में गलत तरीके से उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जिसकी प्रथम बार जानकारी जब प्रत्यर्थीया दिनांक 19.7.2018 को जबरन अपीलाण्ट की खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी कने लगी तब अपीलाण्ट/विपक्षीगण को हुई। तब अपीलाण्ट ने निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों से परे होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में फर्द अहकाम दिनांक 7.5.2018 को बिना अपीलाण्ट/विपक्षीगण की सम्यक तामील के ही उनके विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी श्याम लाल के नोटिस की तामील उसके भाई लादु को होना बताया गया है। जबकि अपीलाण्ट श्यामलाल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के लादू नाम का कोई भाई नहीं है। उसके बावजूद अगली पेशी दिनांक 29.5.2018 को ही गलत व गैर कानूनी अविभक्त समस्त आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानून के प्रतिपादित सिद्धातों का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात सायरी पुत्री प्रताप एवं बाली बेवा प्रताप के नाम 1/2 हिस्से एवं रामेश्वर, नारायण लाल पिता हरदेव सुन्दर बाई बेवा हरदेव, नारायण लाल नाबालिग बबिलायत संरक्षिका माता सुन्दर बेवा हरदेव 1/2 से जमाबंदी संवत 2070–2073 तक में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज बाली बेवा प्रताप का समस्त हिस्सा अपीलाण्ट्स को दिनांक 3.3.2017 को विक्रय किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 450 व 451 दिनांक 15.3.2017 द्वारा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार भी दर्ज हो चुका है। जिस पर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इन सब परिस्थितियों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज क ग्राम केकडिया, पटवार हल्का सराणा में स्थित समस्त आराजी नम्बर 192,193, 193/1, 194, 195 एंवं 196 कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर अपीलाधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर मूल वाद के निस्तारण तक अपीलाण्ट को पाबन्द कर दिया है। जबकि रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पारित कर विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार क अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2018 को निरस्त किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विक्रेता बाली प्रत्यर्थीया की मॉ हैं। बाली की मृत्यु के बाद उसके हक अधिकार प्रत्यर्थीया को ही मिलते । बाली विक्रेता द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/4 हक हिस्सा ही उसके द्वारा विक्रय कर कब्जा सौंपा गया है। जिसे विक्रय करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार था। इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थी के भाई को हुई थी। मांगू के 4 लडके हैं जिसमें नारायण, श्याम लाल, भॅंवरिया एवं लादू है। जिसमें से लादू को नोटिस की तामील हुई है। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को थी। यदि अपीलार्थीगण को लादू को नोटिस दिये जाने की जानकारी नहीं थी तो ऐसी स्थिति में निर्णय की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु निवेदन किया जाना चाहिये था। अपीलार्थीगण ने उनके पास उपलब्ध सुविधा का उपयोग नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कानूनी रूप से संयुक्त अविभक्त आराजियात के प्रत्येक ईंच भूमि पर खातेदार का संयुक्त कब्जा होता है और खरीददार बाहरी व्यक्ति किसी विक्रय या हस्तान्तरण दस्तावेज के द्वारा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी व सक्षम व्यक्ति नहीं है। आज भी उक्त आराजियात प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त अविभक्त कब्जेयाबी की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विक्रय पत्र के माध्यम से राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज अवश्य करवाया है परन्तु उनका मौके पर कोई कब्जा नहीं है । अपीलार्थीगण को बंटवाडे का दावा प्रस्तुत करना चाहिये । उसके उपरान्त उनका वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा विशेष दर्ज किया जायेगा। प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2018 पेज 706, आर आर डी 1996 पेज 148 (एल बी), आर आर डी 2007 पेज 247 (एल बी) की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रेकार्ड एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संलग्न जमाबंदी संवत 2070 लगायत 2073 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 192,193, 193/1, 194, 195 एवं 196 कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा में भैरू लाल पिता प्रताप बाली बेवा प्रताप 1/2 रामेश्वर लाल नारायण लाल पिता हरदेव मु0 सुन्दर बेवा हरदेव नारायण लाल ना बा ब वि माता सुदर बेवा हरदेव 12 गुर्जर साकिन देह दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 448 दिनांक 4.3. 2016 से विरासत से भैरू पिता प्रताप गुर्जर के बजाय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

सायरी पिता प्रताप बाली पत्नी प्रताप गुर्जर के नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में भैरू लाल पिता प्रताप एवं बाली बेवा प्रताप का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा था जिसमें से भैरूलाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत से वादग्रस्त आराजियात में बाली पत्नी भैरू लाल एवं सायरी पिता भैरू लाल का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित हो गया । उसके उपरान्त बाली बेवा भैरू लाल द्वारा उसके हिस्से की 3/8 भूमि में से आराजी नम्बर 192, 193, 194, 195 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से नारायण लाल पिता मांगी लाल को 91/296 व आराजी नम्बर 193/1 , 196 किता 2 कुल रकबा 0.10 में बाली बेवा प्रताप हिस्सा सम्पूर्ण नारायण लाल पिता मांगी लाल गुर्जर 3/8 विक्रय किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 15.3.2017 खोला गया । इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 451 दिनांक 15.3. 2017 द्वारा आराजी नम्बर 192, 193, 194, 195 किता 4 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा में से बाली बेवा प्रताप 20/996 के बजाय श्यामलाल पिता मांगू गुर्जर 20/296 गुर्जर साकिन देह दर्ज की गई। उक्त जमाबंदी के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की होकर तत्कालीन खातेदार बाली बेवा भैरू लाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय अपीलार्थीगण को किया गया है।

13. वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की होने से वादग्रस्त आराजियात के प्रत्येक ईंच भूमि पर सभी सहखातेदारान का समान रूप से हक हिस्सा है। चूंकि विक्रेता द्वारा अपीलार्थीगण को उसके हिस्से का विक्रय किया गया है न कि किसी आराजी नम्बर विशेष का विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

कि उनका क्रय सुदा भूमि पर कब्जाकाश्त है उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. जब तक अपीलाण्ट् अपने हिस्से की भूमि का विभाजन नही करवा लेते हैं तब तक वादग्रस्त आराजियात में उनका भूमि विशेष पर हक अधिकार निहित नहीं हो सकते हैं। चूंकि विभाजन के दौरान अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन होने के उपरान्त ही अपीलार्थीगण भूमि विशेष पर काबिज होने का हक अधिकार रख सकेंगे। इस संबंध में प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2018 (25) पेज 706 में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि "**कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भी अजनबी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी क जा सकती है। इसी प्रकार सम्पति हस्तांतरण अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त सम्पति में कोई भी अजनबी व्यक्ति किसी सहस्वामी का कोई हिस्सा क्रय करता है तो उसे उस हिस्से को बंटवारा कराकर ही आराजी पर काबिज हो सकता है।** " इस सिद्धान्त के अनुसार बंटवारे से पूर्व जब किसी सहकृषक का निश्चित भू भाग नहीं होता तो बेचान के द्वारा कौनसा हिस्सा हस्तान्तरण किया गया है यह निश्चित नहीं किया जा सकता और ऐसे अनिश्चित भूमि के क्रय या कब्जा लेने का काई अधिकार नहीं रहता है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात में भी सहखातेदारों की भूमि है और इस भूमि का विधिवत बंटवारा पक्षकार में नहीं किया गया है।

15. अपीलार्थीगण/क्रेता द्वारा जो भूमि क्रय की गई है वह पूर्व खातेदारो में मध्य बंटवारे से प्राप्त भूमि का सहखातेदार/विक्रेता द्वारा विक्रय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

जारी की गई है । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलार्थीगण अपने हक हिस्से का बंटवारा कराने के लिए चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

16. न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन कर पूर्ण विवेचन किया गया है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला प्रत्यर्थीया के पक्ष में होकर अजनबी केता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रकरण बनता है। जहॉ तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है। सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रत्यर्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अपीलाण्ट्स को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द नहीं किया जाता है तो अपीलार्थीगण बिना बंटवाडा कराये वादग्रस्त आराजियात में आराजी विशेष पर काबिज हो जायेगें। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति प्रत्यर्थीया को ही होगी ।

17. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2018 को यथावत रखा जाता है।

18. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.)